

शासकीय स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दतिया म0प्र0

- स्वशासी प्रकोष्ठ -


विद्या परिषद् की बैठक


सत्र 2019-20

गुरुवार, दिनांक 01 अगस्त 2019

एजेण्डा

- 1- विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि।
- 2- अध्ययन-मण्डलों द्वारा पारित पाठ्यक्रमों का अनुमोदन।
- 3- परीक्षा समिति तथा अध्ययन-मण्डलों द्वारा पारित सीसीई/अकादमिक कैलेंडर व परीक्षा संबंधी नियमों पर विचार व अनुमोदन।
- 4- स्नातक/स्नातकोत्तर संकाय में कक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त छात्र/छात्राओं को प्रमाणपत्र व शील्ड प्रदान करने विषयक।
- 5- साहित्यिक/सांस्कृतिक/एन.एस.एस./एन.सी.सी. एवं अन्य किररी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन पुरस्कार विषयक।
- 6- विभागीय सेमीनार/संगोष्ठी आयोजित करने संबंधी प्रस्तावों पर विचार।
- 7- विभागीय उन्नयन हेतु सामग्री/उपकरण इत्यादि क्रय किये जाने संबंधी प्रस्तावों पर विचार।
- 8- शोध प्रोत्साहन हेतु सूक्ष्म शोध परियोजना स्वीकृत करने विषयक।
- 9- नैक मूल्यांकन को दृष्टिगत रखते हुए सुझावों एवं विचारों पर चर्चा।
- 10- अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से।



(डॉ.रतन सूर्यवंशी)
अकादमिक सचिव



(डॉ.-डी.आर.राहुल)
प्राचार्य एवं अध्यक्ष, विद्या परिषद्

कार्यालय, स्वशासी परीक्षा, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दतिया
दिनांक : 01.08.2019
क्रमांक.....

स्वशासी परीक्षा : अकादमिक कैलेण्डर सत्र 2019-20

1. म.प्र.शासन उच्चशिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल द्वारा आदेश क्रं. 285/116/सीसी/38 दिनांक 25 मई 2019 के माध्यम से प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत के साथ-साथ ऑनलाइन प्रवेश समय-सारणी एवं अकादमिक कैलेण्डर जारी किया गया है। अकादमिक कैलेण्डर सत्र 2019-20 के अन्तर्गत सेमेस्टर कक्षाओं एवं वार्षिक पद्धति हेतु समयबद्ध कार्यक्रम घोषित किया गया है। राज्य शासन द्वारा घोषित कार्यक्रम अनुसार शैक्षणिक सत्र का संचालन सुनिश्चित किया जायेगा। निर्देशानुसार समस्त परीक्षाएँ सम्पन्न करायी जाकर परीक्षा परिणाम समय पर घोषित किये जाने हेतु प्रयास किया जायेगा।
2. अकादमिक कैलेण्डर 2019-20 के अन्तर्गत घोषित शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. सेमेस्टर परीक्षाएँ/दीपावली/शीतकालीन/ग्रीमकालीन अवकाश शासन के अकादमिक कैलेण्डर अनुसार होगा। शासन के निर्देशानुसार अवकाश की अवधि में प्राचार्य द्वारा शिक्षकों को आवश्यकता के अनुसार रोका जा सकेगा।
4. सत्र 2019-20 में महाविद्यालय का नैक मूल्यांकन प्रस्तावित है अतः इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकतानुसार शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक विशेष गतिविधियों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।
5. अध्ययन मण्डल बैठक के अन्तर्गत यदि कोई विशेष प्रस्ताव परियोजना/डेजर्टेशन संबंधी पारित किया गया हो तो विचार एवं अनुमोदन।


(डॉ.रतन सूर्यवंशी)
अकादमिक सचिव


(डॉ.डी.आर.साहुल)
प्राचार्य एवं अध्यक्ष, विद्या परिषद्

कार्यालय, स्वशासी परीक्षा, शासकीय स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय, दणिया
क्रमांक: दिनांक : 01/08/2019

अकादमिक गतिविधियों एवं महाविद्यालय विकास हेतु वित्तीय प्रावधान

सत्र 2019-20

अकादमिक गतिविधियों एवं महाविद्यालय विकास हेतु वित्तीय प्रावधान विद्या परिषद् के अनुमोदन हेतु

निम्नानुसार प्रस्तावित है -

क्रं	विवरण	राशि
1.	व्याख्यान माला हेतु आवंटन 10000X14	1,40,000
2.	बैठक व्यवस्था एवं आकस्मिक व्यय प्रावधान	-
3.	प्रायोगिक कार्यों के लिए प्रयोगशालाओं को उपभोग्य व अन्य सामग्री क्रय हेतु	
	अ. रसायनविज्ञान	30,000
	ब. वनस्पतिविज्ञान	30,000
	स. प्राणीविज्ञान	30,000
	द. भौतिकविज्ञान	30,000
	इ. भूगोल	20,000
	ई. विविध विभाग	1,00,000
4.	राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी (किसी एक विषय/संकाय में)	-
5.	सूक्ष्म शोध परियोजना हेतु प्रति विषय 40,000X3	1,20,000
6.	साहित्यिक/सांस्कृतिक/एन.एस.एस./एन.सी.सी.के क्षेत्र में उत्कृष्ट छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन पुरस्कार पर व्यय राशि	1,00,000
	महायोग-	08,50,000

नोट :-

1. अकादमिक गतिविधियों एवं महाविद्यालय विकास हेतु किये गये वित्तीय प्रावधान विद्या परिषद् के अनुमोदन उपरांत वित्त समिति में अनुमोदित कराये जायेंगे।
2. विभिन्न मदों में वास्तविक व्ययों के कम या अधिक होने पर अन्तर्मद समायोजन किया जा सकेगा।

(डॉ.रतन सूर्यवंशी)
अकादमिक सचिव

(डॉ.डी.आर.राहुल)
प्राचार्य एवं अध्यक्ष, विद्या परिषद्